uploading 05/12/2024

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 05/12/2024

क्रमांक F–1/1/2/0009/2024/GAD-7(3) :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2024 व्दारा श्री राजेश कुमार हिंगणकर, (सेवानिवृत्त भापुसे) को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर, दिनांक 01.11.2024 से एक वर्ष अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक, संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। श्री हिंगणकर, व्दारा उक्त पद पर दिनांक 01.11.2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

2/ श्री राजेश कुमार हिंगणकर, (सेवानिवृत्त भापुसे), की संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 तथा संशोधित नियम दिनांक–25 मई 2018 एवं 14 जुलाई 2023 के सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्धारित होंगी :–

1. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, की संविदा नियुक्ति उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक–01.11.2024 से उनके संविदा नियुक्ति आदेश में वर्णित अवधि अनुसार प्रभावशील होगी।

2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष व्दारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। राज्य शासन विशिष्ट प्रकरणों में एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

3. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, को सेवानिवृत्त अधिकारी के सबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन नियमानुसार देय होगा एवं सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाडा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी।

4. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, को अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

5. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, (भापुसे) से संबंधित/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवको को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

निरंतर.........2/

6. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

7. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी एवं वार्षिक वेतनवृध्दि भी देय नहीं होगी।

8. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर (परफॉरमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एम. सेल्वेन्द्रन)
सचिव ''कार्मिक''
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक क्रमांक F–1/1/2/0009/2024/GAD-7(3) भोपाल, दिनांक 04/12/2024

प्रतिलिपि :–निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,
4. उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/53 अरेरा हिल्स, भोपाल,
5. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल,
7. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सा.प्र.वि. कक्ष–2/5/6/अधीक्षण/पुस्तकालय,
8. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल,
10. श्री राजेश कुमार हिंगणकर, (सेवानिवृत्त भापुसे) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. स्थापना सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–7(3),

04/12/2024

(एस.के.सेन्द्रे)
अवर सचिव ''कार्मिक''
मध्यसप्रदेश शासन
सामान्यव प्रशासन विभाग